न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या : 26 / 2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
दक्ष भारती पुत्र श्री मनोज भारती, नाबालिग, जरिये कुदरती वली माता हुमा गौस्वामी पत्नि श्री मनोज भारती, जाति स्वामी, निवासी ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर		मनोज भारती पुत्र श्री हरीशंकर भारती, जाति स्वामी, निवासी ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

दावा वास्ते घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. प्रतिवादी स्वयं उपस्थित ।

आदेश

दिनांक :– 5/1/2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 79 कुल रकबा 150 बीघा आयी हुई स्थित हैं जिसे आगे इस वाद में यथाआवश्यक विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेंगा । उक्त खसरा नं0 की कृषि भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि थी जिनका देहान्त होने पर उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया गया । चूंकी वादी प्रतिवादी की ही संतान हैं एवं उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि हैं इसलिये वादी का भी उक्त कृषि भूमि में बाई बर्थ राईट हैं । उक्त कृषि भूमि का वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में केवल मात्र प्रतिवादी का नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को बेचान करने पर आमादा हैं जबकि प्रतिवादी को सम्पूर्ण कृषि भूमि को बेचान करने का अधिकार नहीं हैं क्योंकि उक्त कृषि भूमि पैतृक कुषि भूमि होने के कारण वादी का भी उसमें 1/2 हिस्सा बनता हैं जिसकी खातेदारी घोषणा करवाने का वादी अधिकारी हैं । वादी नाबालिग हैं तथा उसके 1/2 हिस्से की भूमि को बेचान करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं इसलिये वादी की और से जरिये कुदरती वली माता यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं । वादी 01.06.2020 को उक्त भूमि बेचान करने हेतु भूमाफियां लोगो को दिखाने लगा तो प्रतिवादी को मना किया गया लेकिन वे उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि केवल मात्र अपने नाम से होने के कारण बेचान करने पर ही आमादा हैं किसी प्रकार से कोई बात मानने को तैयार नहीं हैं । बिनाय दावा दिनांक 01.06.2020 को पैदा हुआ जब वादी उक्त पैतृक कृषि भूमि को बेचान करने हेतु भूमाफियां लोगो को दिखाने लगा तब से निरन्तर जारी हैं । अंत में निवेदन

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

किया कि वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जावें कि कि ग्राम लूणी तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 79 कुल रकबा 150 बीघा में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें ।

वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किये जाने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये । बाद तामिल प्रतिवादी स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत् अपनी सहमती भी व्यक्ति की हैं ।

बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 685 अनुसार उक्त कृषि भूमि वादी के दादा एवं प्रतिवादी के पिता हरीशंकर भारती की होना प्रमाणित होती हैं ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता हैं कि उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का बाई बर्थ राईट हैं तथा उक्त कृषि भूमि वर्तमान में केवल मात्र प्रतिवादी के नाम से दर्ज हैं । अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 79 कुल रकबा 150 बीघा में वादी को 1/2 हिस्से का सहखातेदार प्रतिवादी संख्या एक के साथ घोषित किया जाता हैं तथा तहसीलदार लूणी, उक्त खसरा संख्या 79 के 1/2 हिस्से को प्रतिवादी संख्या एक के साथ वादी के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करें ।

उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर लूणी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
गोपाल परिहार आर.ए.एस.

आदेश आज दिनांक 5/1/2021 लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

सहायक कलक्टर लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
गोपाल परिहार आर.ए.एस.